155

गैर योजना

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञापांक–1 / परीक्षा शुल्क–12 / 2009– 03 पटना, दिनांक– 8-1-16

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के अंतर्गत उपबंधित राशि से अन्य पिछड़े वर्गो के छात्र / छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) मात्र की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में अन्य पिछड़े वर्गो के छात्र / छात्राओं को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के परीक्षा शुल्क से छूट के फलस्वरूप हुई क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु गैर योजना के अंतर्गत कुल रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख) मात्र का बजट उपबंध किया गया है। तदनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए उक्त सम्पूर्ण राशि रू0 25.00 लाख (पच्चीस लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति दी जाती है।

2– उक्त स्वीकृत राशि का व्यय भार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजनान्तर्गत मांग सं0 11 आय व्यय शीर्ष ''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–03–पिछड़े वर्गों का कल्याण 277–शिक्षा–0001–छात्रवृत्तियॉ और वृत्तियॉ–3401 छात्रवृति / वजीफा विपत्र कोड सं0–N2225032770001 के अंतर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पटना जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे।

4– इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त, पटना होंगे।

5–जिला कल्याण पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक–2561, दिनांक–17.04.1998 तथा समय–समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में करेंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्राप्त माँग पत्र की आवश्यक जाँचोंपरान्त ही राशि विमुक्त करने की कार्रवाई करेंगे। राशि विमुक्तोपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित पत्र BTC Form-42 A में विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

6– सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

6/1/2016

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–1 / परीक्षा शुल्क–12 / 2009– 03 पटना, दिनांक– 8-1-16

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3)प्रमंडलीय आयुक्त, पटना / जिला पदाधिकारी, पटना / उप विकास आयुक्त, पटना / सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना / प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण, पटना / जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना / अवर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / बजट शाखा, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

रजनीश

6/1/2016
सरकार के सचिव।

Letter of Princ.Secy(sanction order).(Harry)